सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या–16

लोक सूचना अधिकारियों का नाम पदनाम अन्य विशिष्टियां

निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड, मुख्यालय,
देहरादून।

आदेश

शासन द्वारा सूचना के अधिकार के संबन्ध में जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक एवं तहसील स्तर पर अपर जिला सहकारी अधिकारी को सूचना अधिकारी के रूप मे नामित करने के निर्देश दिये गये है।

शासन के उक्त आदेशों के अनुपालन मे जिला स्तर पर सम्बन्धित जिले के जिला सहायक निबन्धक एवं तहसील स्तर पर सम्बन्धित अपर जिला सहकारी अधिकारी को सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

उक्त अधिकारी सूचना का जन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानो के अनुसार जन समान्य को सूचना उपलब्ध करायेगें।

(ए0के0काला)
उप निबन्धक
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
पत्रांक 1788–81 /रिट/सू0अ0 /05–06 /दिनॉक जुलाई 6, 2005।

1– समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरॉचल को सूचना का जून अधिकार अधिनियम 2005 की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि आप जनपद स्तर पर उक्त अधिनियम के प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा उक्त अधिनियम की प्रति तहसील में कार्यरत सम्बन्धित अपर जिला सहकारी अधिकारी को भी उपलब्ध कराते हुए उन्हे अपने स्तर से भी उक्त अधिनियम के प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें।
2– समस्त अपर जिला सहकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तरॉचल को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3– सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल शासन, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी , उत्तरॉचल।
5– गाई फाईल हेतु।

उप निबन्धक
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 512/ग्प्ट–1/2005 दिनांक 05.08.2005 के परिपालन में लोक प्राधिकारी इकाई निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल अल्मोड़ा में श्री बिशन लाल उप निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गठित कार्य दल में श्री अरविन्द जोशी अपर जिला सहकारी अधिकारी मुख्यालय को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है। श्री जोशी अधिनियम की धारा 4 (ख) के अनुसार मैनुअलों को तैयार कर उन्हें अध्यविधिक करेगें तथा लोक सूचना अधिकारी को समय–समय पर मैनुअलों की तैयारी से अवगत करायेगें।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।
पत्रांक /सूचना /2005 /दिनांक अगस्त , 2005।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

(1) सम्बन्धित अधिकारी।
(2) समस्त जिलाधिकारी।
(3) सचिव सूचना उत्तरॉचल शासन।
(4) सचिव सहकारिता।
(5) समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।
(6) गार्ड फाइल हेतु।

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।

उत्तरॉचल शासन
सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग–1
संख्या 512/XIV–1/2005.08.30
देहरादून दिनॉक 5 अगस्त 2005।

अधिसूचना

''सूचना का अधिकार अधिनियम'', 2005 (2005 का अधिनियम संख्या–22) की धारा–5 एवं 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल '' सहकारिता विभाग उत्तरॉचल '' के अधीनस्थ विभागों/संस्थाओं/समितियों हेतु निम्नतम घोषित लोक प्राधिकारी ईकाइयों के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारीयों को ''सूचना का अधिकार अधिनियम'' 2005 में निर्दिष्ट कार्यो हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप मे अधिसूचित/नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है।

क0स0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोकसूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
1	निबन्धक, कार्यालय (मुख्यालय) अल्मोड़ा	उप निबन्धक मुख्यालय	अपर निबन्धक मुख्यालय
2	जिला सहायक निबन्धक कार्यालय (जनपद स्तरीय कार्यालय)	जिला सहायक निबन्धक (सम्बन्धित जिले का)	उपनिबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचलं।
शीर्ष सहकारी संस्थायें			
3	उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी	उप प्रबन्धक, उ.रा.सह.बैंक लि. हल्द्वानी	प्रबन्ध निदेशक, उ.रा. सह. बैंक लि. हल्द्वानी
4	उत्तरॉचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 देहरादून	प्रबन्ध निदेशक, यू.सी.एम.एफ. देहरादून	निबन्धक, सहकारी समितियॉ
केन्द्रीय सहकारी संस्थाये			
5	जिला सहकारी बैंक लि0 (जनपद स्तरीय) (10)	सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0	सहायक निबन्धक सह0 समितियॉ (सम्बन्धित जिले का)
6	जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सह. भण्डार लि0 (जिला/विकास खण्ड स्तरीय) (06)	सचिव/प्रबन्ध निदेशक, जि0के0 उप0 सह0 भण्डार लि0	सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल (सम्बन्धित जिले का)
7	जिला सहकारी संघ (जिला स्तरीय) (10)	सचिव/प्रबन्ध निदेशक, जिला सहकारी संघ लि0	सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरॉचल (सम्बन्धित जिले का)
8	प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (समस्त प्रकार की विकास खण्ड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय एवं अन्य)	सम्बन्धित संस्था का सचिव/प्रबन्ध निदेशक,	सहायक विकास अधिकारी (सह0) (सम्बन्धित विकास खण्ड का)

2– प्रतिबन्ध यह है कि यदि लोक सूचना अधिकारी या अपीलेंट अधिकारी के रूप में नामित कोई अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सूचना अधिकारी एंव अपीलेंट अधिकारी माना जायेगा।
3– नामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तब्यों एवं दायित्वों के निवर्हन के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगें एवं उन्हें इस हेतु कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नही होगा।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्या 512 (1) तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–निजी सचिव, मा0 मुख्यमत्री उत्तरॉचल।
2– समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री गण उत्तरॉचल सरकार।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरॉचल शासन।
4– सचिव सूचना उत्तरॉचल शासन।
5– निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
6– समस्त जिलाधिकारी उत्तरॉचल।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तरॉचल शासन।
8– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तरॉचल शासन।
9– अपर निबन्घक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
10– सम्बन्धित समस्त प्राधिकारी ईकाइयों/लोक सूचना अधिकारी/अपीलेंट अधिकारी द्वारा अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
11– उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
12– समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
13– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल।
14– निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तरॉचल देहरादून।
15– उप निदेशक, मुद्रण, लिथो प्रेस रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना की 2000 प्रतियॉ कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एन0एस0 डुंगरियाल)
अनुसचिव।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
पत्रांक – 2610–14/सूचना /2005 /दिनांक 20 अगस्त , 2005।

(1) प्रबन्ध–निदेशक
उत्तरॉचल राज्य सहकारी
विपणन संघ लि0।

(2) प्रबन्ध निदेशक
राज्य सहकारी बैंक लि0।

(3) समस्त जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियां, उत्तरॉचल।

(4) समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0।

(5) समस्त केन्द्रीय सहकारी
संस्थायें उत्तरॉचल।
द्वारा
जिला सहायक निबन्धक

कृपया उत्तरॉचल शासन की अधिसूचना संख्या 512/ग्प्ट–1/2005 दिनांक 05.08.2005 का सन्दर्भ ग्रहण करें। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं में लोक प्राधिकारी इकाइयों का चिन्हीकरण किया गया है।

अतः उपर्युक्त उल्लिखित पत्र के अनुसार आप अपनी चिन्हित इकाई के लोक सूचना अधिकारी का नाम कैम्प कार्यालय देहरादून में सहायक लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला सहायक निबन्धक एक सप्ताह की अवधि में अपने जनपद की सभी केन्द्रीय व प्रारम्भिक समितियों के लोक सूचना अधिकारी (जैसा कि अधिसूचना में इंगित है) का नाम निर्दिष्ट कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

संलग्नः– यथौपरि।

निबन्धक
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम

क0स0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोकसूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
1	निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड।	अपर जिला सहकारी अधिकारी, समितियॉ समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून।	–	उप निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड देहरादूना।
2	जिला सहायक निबन्धक कार्यालय (जनपद स्तरीय कार्यालय)	जिला सहायक निबन्धक (सम्बन्धित जिले का)	–	उपनिबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
		शीर्ष सहकारी संस्थायें		
3	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी	उप प्रबन्धक, उ.रा.सह.बैंक लि. हल्द्वानी	–	प्रबन्ध निदेशक, उ.रा. सह. बैंक लि. हल्द्वानी
4	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 देहरादून	प्रबन्धक, यू.सी.एफ. देहरादून	–	प्रबन्ध निदेशक, यू.सी.एफ. देहरादून
		केन्द्रीय सहकारी संस्थाये		
5	जिला सहकारी बैंक लि0 (जनपद स्तरीय) (10)	सचिव / महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0	–	सहायक निबन्धक सह0 समितियॉ (सम्बन्धित जिले का)
6	जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सह. भण्डार लि0 (जिला / विकास खण्ड स्तरीय) (06)	सचिव / प्रबन्ध निदेशक, जि0के0 उप0 सह0 भण्डार लि0	–	सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल (सम्बन्धित जिले का)
7	जिला सहकारी संघ (जिला स्तरीय) (10)	सचिव / प्रबन्ध निदेशक, जिला सहकारी संघ लि0	–	सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरॉचल (सम्बन्धित जिले का)
8	प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (समस्त प्रकार की विकास खण्ड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय एवं अन्य)	सम्बन्धित संस्था का सचिव / प्रबन्ध निदेशक,	–	अपर जिला सहकारी अधिकारी (सह0) सम्बन्धित तहसील का

टिप्पणी– केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं के कमांक 05 एवं 08 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त संस्थाओ को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न0–9017 / 2013 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2013 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम से अच्छादित नही माना गया है।